न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
उपस्थित–पवन कुमार शर्मा–II, उच्चतर न्यायिक सेवा
{J. O. Code No.– UP–2735}

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–475/12A/2026

शुभांकर गुप्ता पुत्र जयराम गुप्ता, निवासी शिवनगर गोंडा रोड थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच। ----------आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–52/2026
धारा–61(2), 316(5) बी०एन०एस० व
धारा–3 सार्वजनिक सम्पत्ति नु०नि०अधिनियम
थाना–रामगांव, जनपद बहराइच।

दिनांक–10–03–2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त शुभांकर गुप्ता की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय पर **प्रथम है** तथा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर थाने पर इस आशय की दी गयी कि, मो० असलम पुत्र श्री रहमान (आधार नं 7445506858214) पता करनपुर करनपुर पोस्ट युसुफपुर नहलिया करनपुर मुरादाबाद, 244102 वाहन संख्या UP21FT8485 द्वारा Samad Traders, नाजिरपुरा बाईपास बहराइच (मो07985510191) दिलशाद अली कबाड़ी से Prilific pvt Ltd village, Girdhari 5Th km stone, factory aliganj road kashipur, उत्तराखण्ड, को छात्रो को परिषदीय विद्यालय के छात्रो को बर्ष 202627 शैक्षिक सत्र में वितरित की जानी है जो निशुल्क पाठ्य पुस्तको को बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। उसको हमने चेकिंग के दौरान ट्रक को पाठ्य पुस्तक के साथ पकड़ा लिया गया है जिसका बजन (खाली) 10960 kgm तथा पाठ्य पुस्तक के साथ कुल वजन 21070 kg जिसमें से किताबो का वजन 10110 kg है, जिसको लेकर हम थाना रामगांव में ट्रक (लोडिंग) के साथ आ है। अतः आफसे अनुरोध है कि सम्बन्धित के विरुद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट कबाड़ी वाला samad traders तथा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज करे की कृपा करे। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4– आवेदक/अभियुक्त की जमानत के सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस के द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं सच्चाई यह है कि प्रार्थी एक अदद डी०सी०एम० का स्वामी है जिससे वह दसियों साल से भाड़े पर चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। परिषदीय विद्यालय की किताबों को विद्यालय से उससे सम्बन्धित ठेकेदार प्राप्त करके भाड़े पर संबंधित विद्यालयों तक भिजवाता है। इस मुकदमे से संबंधित जो किताबें पकड़ी गई हैं उनका परिवहन न तो प्रार्थी की गाड़ी से किया गया है और न ही प्रार्थी के कब्जे से ऐसी कोई किताबें बरामद हुई है। दरअसल सहअभियुक्त अर्जुन कबाड़ का कारोबार करता है और दूसरों की

Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Date: 2026.03.10 16:26:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तरह उसके कबाड़ को भी उसके कहने पर प्रार्थी अपनी गाड़ी से भाड़े पर भेजता रहा है मात्र इसी संबंध के चलते अर्जुन के साथ साथ प्रार्थी को भी इस मुकदमे में फंसा दिया गया है। दरअसल दिनांक 19.02.26 को प्रार्थी गायघाट निवासी धनीराम गुप्ता के यहां शादी में गया था और तभी रात करीब 03:30 बजे रामगांव थाने के पुलिस कर्मी प्रार्थी को वहां से पकड़ लाए और प्रार्थी को दो दिन थाने पर रोककर उसके बाद की गिरफ्तारी दिखा कर उसका चालन इस मुकदमे में कर दिया। यही नहीं पकड़ कर लाने के बाद पुलिसवाले प्रार्थी को अर्जुन की दुकान पर लाए और दो बोरो में परिषदीय विद्यालय की किताबें भरकर उसके साथ किताबों की फर्जी बरामदगी दिखाकर अर्जुन के साथ प्रार्थी का भी चालान इस मुकदमे में कर दिया तथा अन्य कथनो के साथ याचना की गयी कि अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बहराइच द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अभियुक्त द्वारा सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग किया गया है। अतः अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी एवं समस्त प्रपत्रो का अवलोकन किया।

7– अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर षड़यन्त्र करके सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचाने का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं दिखायी गयी है। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि, अभियुक्त द्वारा कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया हो। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक–22–02–2026 से जिला कारागार निरूद्ध है।

8– अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त है, तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शुभांकर गुप्ता की ओर से उपरोक्त वर्णित मुकदमें में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी समान राशि की दो प्रतिभू विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर तथा निम्न शर्तों की अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर उसे अवमुक्त किया जावे।

1– आवेदक/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित रहेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त न तो अभियोजन के गवाहान को डरायेगा व धमकायेगा, न ही अभियोजन साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त स्वयं का निवास स्थान एवं उसके जमानतियों के निवास स्थान में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना तुरन्त न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त इस मामले में जब न्यायालय में अभियोजन के गवाहान साक्ष्य हेतु उपस्थित होगा तब किसी किस्म की व किसी आधार पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं देगा।

5– आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपने केस के शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय का पूरा सहयोग करेगा और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म का कोई अवरोध/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही उसको दी गयी जमानत का किसी भी तरीके से दुरूपयोग करेगा।

(**पवन कुमार शर्मा–II**)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच

दिनांकः–10–03–2026